### फा.स .T-17014/3/2021-Training-FSSAI भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

(खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण)

# एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

प्रशिक्षण प्रभाग

दिनांक: 21 जुलाई, 2022

### कार्यालय ज्ञापन

# विषय: खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक प्रमाणपत्र की वैधता को हटाने बाबत।

खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन (FoSTaC) कार्यक्रम मई 2017 में एफएसएसएआई द्वारा शुरू किए गए खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों के लिए एक बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। FoSTaC कार्यक्रम का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षकों का एक पूल बनाना है, जो ,खाद्य सुरक्षा और मानकों (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस और पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची 4, में आवश्यकताओं के अनुसार अच्छी स्वच्छता और विनिर्माण प्रथाओं में प्रशिक्षित हैं। फोस्टैक प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलता पूर्वक करने के पश्चात खाद्य संचालकों को खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र को जारी किया जाता है। अगर फूड हैंडलर के व्यवसाय के प्रकार में कोई बदलाव नहीं होता है, तो खाद्य संचालक को जारी किए गए खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक प्रमाणपत्र की वैधता 2 साल थी।

- 2. एफएसएसएआई को खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक प्रमाणपत्र की वैधता को हटाने के संबंध में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मामले की समीक्षा की गई और वर्तमान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, उसी तरह के व्यवसाय में काम करना जारी रखने वाले खाद्य संचालकों के लिए खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक प्रमाणपत्र की वैधता खंड को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है।
- 3. तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक प्रमाणपत्र सदा के लिए प्रमाणित होगा। हालांकि, अगर खाद्य संचालक व्यवसाय के प्रकार बदलता है, तो उसे नए सिरे से FoSTaC प्रशिक्षण से गुजरना होगा और संबंधित व्यवसाय के प्रकार के लिए एक नया खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।
- 4. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस और पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची 4 में कोई परिवर्तन होने पर खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र वाले खाद्य संचालकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण से गुजरना होगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

वीरेन्द्र सिंह शेखावत) प्रबंधक (प्रशिक्षण)

प्रति,

- 1. समस्त खाद्य व्यवसाय संचालक अनुपालन के लिए
- 2. खाद्य सुरक्षा आयुक्त (सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)।
- 3. समस्त प्रशिक्षण भागीदार।
- 4. मुख्य तकनीकी अधिकारी वेबसाइट पर अपलोड करने और FoSTaC पोर्टल में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए।

## प्रतिलिपि:

1. कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन) के निजी सचिव एफएसएसएआई, मुख्यालय, नई दिल्ली

# File No: T-17014/3/2021-Training-FSSAI Food Safety and Standards Authority of India (A Statutory Authority established under the Food Safety & Standards Act, 2006)

FDA Bhavan, Kotla Road, New Delhi-110 002 (Training Division)

Date: 21st July, 2022

#### OFFICE MEMORANDUM

### Subject: Removal of Food Safety Supervisor (FSS) Certificate Validity

Food Safety Training & Certification (FoSTaC) is a large scale training and capacity building programme for the food business operators launched by FSSAI in May 2017. The FoSTaC programme is aimed at creating a pool of food safety supervisors (FSS), who are trained in good hygiene and manufacturing practices as per requirements in Schedule 4 of Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011. Food safety supervisor's certificate is issued to the Food Handlers after successful completion of the FoSTaC training programme. The validity of FSS certificate issued to the food handler was 2 years in case there is no change in the kind of business (KoB) of the food handler.

- 2. FSSAI has received many representations regarding the removal of validity of FSS certificate. The matter has been examined and considering the present training curriculum, the validity clause of FSS certificate is removed with immediate effect for the food handlers who continue to work in the same kind of business.
- 3. Accordingly, it has been decided that FSS certificate will be perpetual in nature. However, if the food handler changes KoB, he/she will have to undergo the FoSTaC training afresh and obtain a new FSS certificate for the respective KoB.
- The food handlers having FSS certificate will have to undergo refresher training in case there is any change in the Schedule 4 of Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011.

This is issued with the approval of the Competent Authority.

(Virendra Singh Shekhawat)

Manager (Trg)

To,

- 1. All FBOs For Compliance
- 2. Commissioners of Food Safety (All States/UTs).
- 3. All Training Partners.
- 4. CTO For uploading on website and for making necessary changes in the FoSTaC portal.

Copy to:

PS to ED (HR), FSSAI, HQ, New Delhi